

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि०-06.08.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त शिवम राजपूत उर्फ बड़े पुत्र रामप्रकाश निवासी 4/56 मोहल्ला नुनहाई कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु०अ०सं०- 121/2022 वाद संख्या 2582/2022 धारा 457,380,411 भादवि० कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट द्वारा दिनांक 06.08.2026 को दोषसिद्ध कर 06 वर्ष कारावास की सजा व 70000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



पीओ- श्री चन्देश कुमार



को० मो० - का० पीयूष कुमार



पैरोकार - का० दीपक कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि०-06.08.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त शिवम राजपूत उर्फ बड़े पुत्र रामप्रकाश निवासी 4/56 मोहल्ला नुनहाई कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ विरुद्ध मु०अ०सं०- 50/2022 वाद संख्या 5392/2022 धारा 457,380,411 भादवि० कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट द्वारा दिनांक 06.08.2026 को दोषसिद्ध कर 06 वर्ष कारावास की सजा व 70000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



पीओ- श्री चन्देश कुमार



को० मो० - का० पीयूष कुमार



पैरोकार - का० दीपक कुमार